


27.10.17 → खासगी रेश डुई / व्हील गझर टाळिर / खिस्ते के लहरन के
लक्ष्य इस लहर है डि काय अजगरा श्री जगबंदी सं० २०६६-६९
के खाल सं० १२५-२५४ किला २ रकबा ०७-०५-०० बीघा १ ससपुरा
खाल सं० नया-पुरा ५६-५९ किला ५ रकबा २६-१५-१० लहर-
२०७०-७३ - तलाउरा श्री जगबंदी सं० २०६७-७० के खाल सं० नया-
पुरा १७७-१७० = २३९-२१६ किला ३ रकबा १५-११-०० बीघा
राम तलापुरा श्री जगबंदी सं० २०६७-७० खाल सं० नया -

पुस्तिका 71-104 संख्या नम्बर 80 तारीख 6-01-50 कीका
 का खारेज करार डार घोषित सि जाये हेतु 9 बरस
 स्थान हेतु दावा अंतर्गत धारा 53, 88, 91A, 188, 209 का
 के हदत अंतर्गत किया है। शर्मा जगदीश कंत पुत्र हरदेव
 खारोल सिवाली सुरजपुरा ने दावा अंतर्गत किया है कि
 शर्मा पुत्र शीला, यथा पुत्र लक्ष्मण के गोह चला गकार्थी तथा
 शेष पुत्र मोती रामनाथ के गोह चला गया धारणा शर्मा
 को हरदेव पुत्र गिरधारी ने गोह ले लिया था तथा हरदेव
 के गोह चला गया था अतः उक्त निर्णय बाराजीवाल से किया
 विधि बरखाद कराये। प्रतिवादी उनके नौकर चाकर स्नेह
 इत्यादि को शर्मा के हिरले ही भूमि व चाट के अन्त
 कारत उपयोग उपयोग के बाधा न डालने हेतु मूल
 वाड के विस्तारण लड जाये स्थायी लिखे वास्ता पाठ
 किया जाने का निर्देश दिया है। शर्मा ने अपने
 गोह पुत्र लेने का कोई इरादाल अंतर्गत नहीं किया
 है। अतः शर्मा का तर्कना न चार टैंन होने के
 खासि किया जाता है अतः शर्मा न हे अधिकार का
 अंतिम निर्धारण नहीं करता है, लड अधिकार का लक्ष्य
 मूल वाड से लय होगा। खर्चा फर्दिहय अपना अपना
 वहन करे।

आदेश मुले न्यायालय में सुनाया गया।


 S D Sharma

